—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 172/2024

उनवान

रामस्वरूप पुत्र मांगू जाति भांबी निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें राज. पेरोकार

2. बजरंग पुत्र मांगू सिंह जाति भांबी निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 2 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 5/3/25

अधिवक्ता वादी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 302/329 किता 10 रकबा 2.29 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी काश्तकारी की है। आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से हनुमान पुत्र मांगू सिंह कर दिया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम रामस्वरूप पुत्र मांगू सिंह है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादी को नाना प्रकार की परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का सही नाम रामस्वरूप पुत्र मांगू दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2ने जवाब नही पेश कर वाद के तथ्यों मे स्वीकारोक्ति जाहिर की। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:02 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 302/329 किता 10 रकबा 2.29 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर वादी का नाम हनुमान पुत्र मांगू सिंह अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र मांगू सिंह अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी व खसरा गिरदावरी में आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मांगू पुत्र घीसा के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा हनुमान पुत्र मांगू सिंह व बजरंग पुत्र मांगू सिंह के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। उक्त आराजी पर विरासत दर्ज करते समय वादी का नाम हनुमान अंकित किया गया है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र मांगू ही अंकित है। आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम दुरूस्त करने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रकरण में वाद के तथ्यों को कोई खण्डन नही है। वादी आराजी मुतनाजा पर नाम दुरूस्ती का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 302/329 किता 10 रकबा 2.29 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम हनुमान पुत्र मांगू सिंह के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मांगू सिंह किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामस्वरूप बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :— 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर — 172/2024
पेश करने की दिनांक — 28.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक फारूक खत्री मुद्दई नरेद्र सिंह राठौड व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 302/329 किता 10 रकबा 2.29 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम हनुमान पुत्र मांगू सिंह के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मांगू सिंह किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 3 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद